

06 ⁰⁶/₂₄

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके आधिकार अनुपासी।
पत्रावली के अनवान अनुसार 3 बार आवजें लगाये जाये
के बावजूद वादी व उनके आधिकार अनुपासी रहे
हैं। लिहाजा प्रकरण अदम दजरी व अदम फीरवी में
धारज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली